अन्वान नंदलाल v/s TDR समदड़ी
मुकदमा नंबर 81 / 2021

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थीगण की आवासीय भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है। अतः प्रार्थीगण अपनी आवासीय भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम समदड़ी तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 730/314 व 920/314 रकबा 0.1619 व 0.0809 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदड़ी को 2000/- रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदड़ी को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने [illegible] कृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रति[illegible] कर तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 268 दिनांक : 14.02.2025

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

नंदलाल पुत्र हरवंश प्रसाद वगैरा **राजस्थान सरकार जरिये**
भूमिधारक तहसीलदार समदडी वगैराह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128,141 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं 81 / 2021 दिनांक :– 31.01.2025

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम समदड़ी तहसील समदडी के खेत खसरा संख्या 730 / 314 व 920 / 314 रकबा 0.1619 व 0.0809 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार समदडी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थी मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 269 दिनांक : 14.02.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी समदड़ी को तहसीलदार समदडी द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी नन्दलाल पुत्र हरवंश प्रसाद जाति खत्री निवासी समदडी तहसील समदडी जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.04.20 13:53:41 IST
Reason: SelfAttested